कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला–दुर्ग

रुचि की अभिव्यक्ति ऑफर सूचना

भिलाई, दिनांक 20/8/2025

कं./जन स्वा. वि./ 679/2025

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत गोकुल नगर में वायो गैस प्लांट स्थापित करने, रख–रखाव एवं संचालन हेतु रुचि की अभिव्यक्ति दिनांक 18.09.2025 को आमंत्रित की जाती है। संवंधित फर्म/ठेकेदार द्वारा राशि रु. 3000.00 की डी.डी. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के नाम पर जमा कर दिनांक 11.09.2025 को समय 5:30 बजे तक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर नियम शर्त की प्रति प्राप्त कर सकते हैं। नियम शर्त के अनुसार ऑफर जमा करने की अंतिम तिथि 18.09.2025 को सायं 5:30 बजे तक स्पीड पोष्ट के माध्यम से प्राप्त की जावेगी। प्राप्त ऑफर लिफाफा दिनांक 19.09.2025 को समय 11:00 बजे खोली जावेगी। अन्य जानकारी नियम शर्ते नगर पालिक निगम भिलाई के वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com अथवा www.uad.cg.gov.in में देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला–दुर्ग

बायो गैस प्लांट निर्माण एवं संचालन हेतु नियम शर्तें

गोकुल नगर कुरुद में स्थित शासकीय भूमि में बायो गैस प्लांट की स्थापना किये जाने के संबंध में नियम शर्ते निम्नानुसार है :–

1. नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत स्थित गोकुल नगर कुरुद में 164 भैस खटाल संचालकों को भैस खटाल संचालित किये जाने हेतु आबंटन किया गया है।
2. भैस खटाल संचालकों के पास वर्तमान में 4125 मवेशी है, जिससे प्रतिदिन लगभग 25–30 टन गोबर निकलता है। उत्पादित गोबर का निष्पादन हेतु बायो गैस प्लांट स्थापित किया जाना है।
3. ऑफरकर्ता के द्वारा बायो गैस प्लांट की स्थापना, रख–रखाव एवं संचालन स्वयं के व्यय से करना होगा।
4. ऑफरकर्ता को विद्युत कनेक्शन, पानी एवं प्लांट संचालन में उपयोग आदि की व्यवस्था स्वयं के व्यय से करना होगा।
5. गोकुल नगर कुरुद में स्थापित बायो गैस प्लांट संचालन की प्रारंभिक अवधि 15 वर्षो के लिए होगी, कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर समयावधि में वृद्धि की जा सकती है।
6. आफरकर्ता को 15 वर्ष के बाद समयावधि बढ़ाये जाने की स्थिति में उत्पादित ऊर्जा की विक्रय से प्राप्त आय का 30 प्रतिशत राशि निगम कोष में जमा करना होगा।
7. गोकुल नगर के रिक्त भूमि 0.55 एकड़ पर प्लांट स्थापित करना होगा। भूमि का चिन्हांकन निगम द्वारा किया जायेगा तथा संलग्न नक्शे से बकाया रिक्त भूमि पर आर एंड डी. के लिए उपयोग किया जायेगा।
8. इस परियोजना के लिए सभी निवेश की जिम्मेदारी ऑफरकर्ता की होगी। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा परियोजना हेतु केवल भूमि उपलब्ध करायी जायेगी, इस प्रकिया से कोई भी लाभ–हानि ऑफरकर्ता के खाते में होगी।
9. ऑफरकर्ता को भैंस खटाल से प्राप्त गोबर के एवज में 2.00 रु. प्रति किलो की दर से संबंधित भैंस खटाल संचालक को प्रति सप्ताह देना होगा।
10. निकलने वाले गोबर को भैंस खटाल संचालकों को उपलब्ध कराना होगा, उपलब्ध नहीं कराने पर ऑफरकर्ता को उपलब्ध (व्यवस्था) करना होगा।
11. बायो गैस प्लांट से प्राप्त आय (लाभांश) का 25 प्रतिशत से अधिक राशि निगम कोष में जमा करने वाले अधिकतम ऑफरकर्ता को कार्य आबंटित किया जावेगा।
12. बायो गैस प्लांट एवं स्थापित क्षेत्र की साफ–सफाई, छिड़काव पर्यावरण का बचाव, कार्यरत कर्मचारियों को सूरक्षा समाग्री ऑफरकर्ता को उपलब्ध कराना होगा।
13. निविदा दो लिफाफा पद्वति में आमंत्रित है। लिफाफा अ में धरोहर राशि स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिक निगम भिलाई एवं निविदादाता के संयुक्त नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक से एफ.डी. आर. प्रस्तुत करना होगा। जिसकी अनुपलब्धता में निविदा नहीं खोली जावेगी। लिफाफा ब में निविदा दर प्रस्तुत करना होगा।
14. ऑफरदाता को निम्नलिखित दस्तावेज पेन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड, विगत एक साल की सी.ए. द्वारा/सत्यापित आडिट रिपोर्ट की छायाप्रति एवं निविदा दाता का नाम काली सूची में नहीं होने के आशय का शपथ पत्र निविदा दाता को उक्त प्रकृति के कार्य का किसी भी नगरीय निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र यदि गलत शपथ पत्र दिये जाने पर ऑफर मान्य नहीं किया जावेगा। उपरोक्त सभी दस्तावेज एवं निविदा दाता को नियम शर्त में उल्लेखित सभी दस्तावेज एक बंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक से जमा करना अनिवार्य होगा।

..........2

15. ऑफरकर्ता अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग रसायनों प्रसंस्करण सामग्री, चावल की भूँसी, गेहूं के भूंसे, कृषि अपशिष्ट के अधिग्रहण एवं भुगतान करेगा।
16. इस परियोजना के लिए सभी निवेश की जिम्मेदारी ऑफरकर्ता की होगी।
17. निगम उपरोक्त सभी कार्यो के लिए अनापत्ति प्रदान करेगी, संयंत्र स्थापना के पश्चात् अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र तथा पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा, निगम इसके लिए सहयोग प्रदान करेगा।
18. पी.एन.जी एवं पानी के लिए नियंत्रण कक्ष ऑफरकर्ता को स्थापित करना होगा।
19. सभी आवश्यक कच्चे माल की व्यवस्था ऑफरकर्ता द्वारा की जायेगी, प्राजेक्ट प्रारंभ होने के बाद सारे खाते किसी सी.ए. द्वारा ऑडिट कर लाभ/हानि नियमित रुव से तैयार किया जायेगा।
20. उपरोक्त क्षेत्रों में WEIGHINGMACHINE की व्यवस्था ऑफरकर्ता द्वारा की जायेगी।
21. ऑफरकर्ता द्वारा रसोई में उपयोग किये जाने योग्य Piped Natural Gas (PNG) में परिवर्तित कर नागरिकों को पाईप लाईन के माध्यम से आपूर्ति करने के संबंध में ऑफर के साथ विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे।
22. किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई